

अनुमय प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के हस्ताक्षर पर जारी किया जाता है।

अनुमय प्रमाण पत्र

मैं, श्री. राजेश (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत श्री. राजेश विकास
को श्री. राजेश (अनुमय) श्री. राजेश
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री श्री. राजेश (अनुमय का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
(पिता/माता का नाम) निवासी
श्री. राजेश (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या श्री. राजेश (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत श्री. राजेश में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/मरम्मत
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रमाणित होने वाले ग्राम और विस्तार के अनुसार सत्य है।
यदि मेरे द्वारा उपरोक्त किये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय पर अस्वीकार्यता पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक 12.11.2025

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत श्री. राजेश
कोडो सिंग डोरन डोरन

हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)